यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियंता,** स वल **वृत्त,** लो.नि. व. चंपावत (उत्तराखंड) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधीक्षण अभियंता, स वल **वृत्त,** लो.नि. व. चंपावत (उत्तराखंड) के माह 09-2016 से 01-2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संजीव कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17-02-2018 से 21-02-2018 तक श्री जगमोहन सिंह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः प्रथम लेखापरीक्षा

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

क्रियाकलाप:- पर्यवेक्षक एवं प्रशासनिक नियंत्रण।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` लाख में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2016-17			23.77	22.29				
2017-18(01-2018)			47.85	43.76				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2016-17	**शून्य**					
2017-18						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव

प्रमुख अ भयन्ता

मुख्य अ भयन्ता

अधीक्षण अ भयन्ता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय **कार्यालय अधीक्षण अभियंता,** स वल **वृत्त,** लो.नि. व. चंपावत (उत्तराखंड) को आच्छादित किया गया है ।समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रथक-प्रथक जारी किए जा रहे है । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियंता,** स वल **वृत्त,** लो.नि. व. चंपावत (उत्तराखंड) के लेखापरीक्षा मे पाये गए निष्क्रषो पर आधारित है। जिसके अंतर्गत माह 09-2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद **149** के अधीन बनाये गये **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971)** की धारा **13**, लेखा तथा **लेखापरीक्षा विनियम, 2007** तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में कोई निरीक्षण नहीं कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखे तैयार नहीं है/तैयार कये जा रहे है।

5. फार्म 51: अब तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत नहीं कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - शून्य

भाग द् वतीय - ₹ शून्य

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष नहीं के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - शून्य

(ख) सामग्री क्रय शून्य

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेप- शून्य

(ङ) भण्डार- शून्य

भाग 2 (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1: वत्तीय स्वीकर्ति से रु 84.41 लाख अ धक व्यय के उपरांत भी कार्य का 28 माह से अपूर्ण रहना।

उतराखंड शासन द्वारा जनपद चंपावत के अंतर्गत चंपावत-मंच-तामली मोटर मार्ग के BM/SDBC द्वारा सुधारीकरण (मार्ग लंबाई 52.50 कमी) कुल 1914.18 लाख की धनरा श की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (सतंबर 2013) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति भी उक्त धनरा श हेतु ही प्रदान की गयी (दिसम्बर 2013)। उपरोक्त कार्यों की निष्पादन हेतु एक अनुबंध 07/SE (दिनान्कित 28-12-2013 अनुबंध 18.36 लाख हेतु) गठित कए गए थे जिसके अनुसार कार्यों की निर्धारित समाप्ति ति थ 27-12-2015 थी।

अधीक्षण अ भयन्ता, स वल **वृत्त,** चंपावत के अ भलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2018) क उक्त अनुबन्ध के सापेक्ष 1982.59 लाख (स्वीकृति से रु 68.41 लाख अ धक व्यय) के उपरांत भी अनुबन्ध की निर्धारित समाप्ति अव ध के 28 माह के बाद भी मात्र 90% कार्य ही पूर्ण है एवं ठेकेदार को उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु दी गयी समयावृद् ध भी माह जून के बाद स्वीकृत नहीं थी।

उक्त की ओर इं गत करने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया क मार्ग पर कुछ आवश्यक कार्य अतिरिक्त मद मे कराने एवं ठेकेदार द्वारा नि वदा की लागत 9% से अ धक होने के कारण व्याया धक होने के साथ वलंब हुआ। व्याया धक एवं अवशेष कार्य कराने हेतु मुख्य अ भयंता द्वारा रु 287.13 लाख एवं वधायक नि ध से रु 148.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है तथा कार्य को मार्च 2018 तक पूर्ण कए जाने का लक्ष्य है।

वभाग का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्यों क मुख्य अ भयंता द्वारा उक्त धनरा श इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी क उक्त आ धक्य सामग्री एवं श्र मको की दरो मे वृद् ध के सापेक्ष प्रदान क जाती है तथा उक्त धनरा श के अंदर कार्य पूर्ण कर लया जाए। कन्तु उक्त अनुबंध में दरों में न तो वृद् ध का प्रकरण था और न ही कार्य पूर्ण कया गया था।

अतः वत्तीय स्वीकृति से रु 68.41 लाख अ धक व्यय के बाद भी कार्य का 28 माह से पूर्ण न होने से कारण प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 : रु 184.76 लाख व्यय के उपरांत 11 वर्षो बाद भी कार्य का अपूर्ण रहना।

उत्तराखंड शासन द्वारा एस॰सी॰एस॰पी॰ योजना के अंतर्गत धुनघट-बरमतोड़ा मोटर मार्ग(मार्ग लंबाई 4.750 कमी) एवं मरोड़ाखान-दयारतोली मोटर मार्ग से अंबेडकर ग्राम लटी हिथौड़ा बास की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति क्रमश: रु 142.40 लाख (माह 08-2006) एवं रु 213.60 लाख (माह 03-2006) में प्रदान की गयी थी जिसकी प्रा व धक स्वीकृति part-1 के कार्यो हेतु क्रमश: रु 112.07 लाख (माह 12-2014) एवं रु 146.36 लाख (माह 04-2015) मे प्रदान की गयी थी।

अधीक्षण अ भयंता, स वल वृत्त, चंपावत के अ भलेखो की लेखा परीक्षा मे पाया गया (फरवरी 2018) की वृत्त द्वारा उपरोक्त स्वीकृति के सापेक्ष part-2 के कार्यो हेतु क्रमश: रु 30.33 लाख (माह 09-2017) एवं रु 67.74 लाख (माह 06-2017) मे प्रा व धक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जब क वर्तमान तक कार्य पर क्रमश: रु 77.37 लाख एवं रु 106.39 लाख का ही व्यय दर्शाया गया था। अत: वृत्त द्वारा वत्तीय स्वीकृति के 08 वर्षो के बाद प्रा व धक स्वीकृति प्रदान करने से न केवल कार्य अपूर्ण था अ पतु सामग्री एवं श्र मको की दरो मे वृद् ध के कारण उक्त लागत मे कार्य पूर्ण न हो पाने की संभावना से भी इंकार नहीं कया जा सकता।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर वृत्त द्वारा उत्तर मे बताया गया क वनभू म के उपयोग क स्वीकृति प्राप्त होने में वलंब के कारण कार्य की प्र व धक स्वीकृति वलंब से दी गयी एवं कार्य को कुछ सीमा तक स्वीकृति लागत मे कराने का प्रयास कया जाएगा।

वभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क वत्तीय स्वीकृति के बाद 08 वर्षो तक कार्य प्रारम्भ न हो पाने पर सामाग्री एवं श्र मक की दरो मे वृद् ध के कारण पुनरी क्षत स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ कया जाना चाहिए था। पुन: वभाग द्वारा उक्त स्वीकृति के अंतर्गत कार्य पूर्ण न हो पाने क संभावना से भी इंकार नहीं कया जा सकता है।

अत: वभागीय लापरवाही से कार्य पर रु 184.76 लाख व्यय के उपरांत स्वीकृति के 11 वर्षो बाद भी कार्य अपूर्ण था, का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
शून्य		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधीक्षण अभियंता,** स वल **वृत्त,** लो.नि. व. चंपावत (उत्तराखंड) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य
2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1.	श्री एस. एस. यादव	अधीक्षण अभियंत	01-01-2014 से 07-06-2014 तक
2.	श्री श्री चन्द्रशेखर भट्ट	अधीक्षण अभियंता	08-06-2014 से 10-08-2015 तक
3.	श्री दिवाकरण सिंह हाँकी	अधीक्षण अभियंता	10-08-2015 से 23-11-2017 तक
4.	श्री हरीश पांगती	अधीक्षण अभियंता	23-11-2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधीक्षण अभियंता,** स वल **वृत्त,** लो.नि. व. चंपावत (उत्तराखंड) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, द्वितीय तल, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी / आर्थिक क्षेत्र-2